



बिहार सरकार
समाहरणालय सिवान
(जिला बाल संरक्षण इकाई)



निदेशक, समाज कल्याण-सह-उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना के पत्रांक- 365, दिनांक- 02.03.2026 से प्राप्त निदेश के आलोक में वृहद आश्रय गृह, भैंसाखाल, जीरादेई, सिवान अंतर्गत संचालित बालगृह (बालक) यूनिट- 01 एवं 02 में निम्नांकित पदों पर विनिर्धारित मानदेय पर संविदा आधारित अस्थाई नियोजन हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।


(विज्ञापन संख्या- 02/2026)

Sl. No.	Name of Post	Description of Post	Min. & Max. Age Limit	Essential Qualification	Experience	Honorarium Per Month
01	Educator (Part Time)	01 (UR) 01 (EBC) Total- 02	UR Male- 18-37 Years UR Female- 18-40 Years EBC Male & Female- 18-40 Years	10+2 with Diploma in elementary education (D.El.Ed.) or B.Ed. from recognized University.	At least one year experience of teaching in a school or institution.	10,000/-
02	Art & Craft cum Music Teacher (Part Time)	01 (UR) 01 (EBC) Total- 02	UR Male- 18-37 Years UR Female- 18-40 Years EBC Male & Female- 18-40 Years	10+2 with Diploma/Degree in Art & Craft/Music from a recognized University.	At least one year experience in a school or institution.	10,000/-
03	PT Instructor cum Yoga Trainer (Part Time)	01 (UR) 01 (EBC) Total- 02	UR Male- 18-37 Years UR Female- 18-40 Years EBC Male & Female- 18-40 Years	10+2 with Diploma/Degree in Yoga/Sports/Athletics/Physical education.	At least one year experience in a school or institution.	10,000/-
04	Cook	02 (UR) 01 (EBC) 01 (SC) Total- 04	UR Male- 18-37 Years UR Female- 18-40 Years EBC Male & Female- 18-40 Years SC Male & Female- 18-42 Years	8 th Pass	At least one year Experience in a school or institution	9930/-
05	Helper-cum-Night Watchman	02 (UR) 01 (EBC) 01 (SC) Total- 04	UR Male- 18-37 Years UR Female- 18-40 Years EBC Male & Female- 18-40 Years SC Male & Female- 18-42 Years	8 th Pass	कार्य अनुभव अनिवार्य नहीं।	7944/-
06	House keeper (Sweeper)	01 (UR) 01 (EBC) Total- 02	UR Male- 18-37 Years UR Female- 18-40 Years EBC Male & Female- 18-40 Years	8 th Pass	कार्य अनुभव अनिवार्य नहीं।	7,944/-
07	Care Taker-cum-Vocational Instructor (For Special Unit) (Boys Home 01)	01 (UR) Total- 01	UR Male- 18-37 Years UR Female- 18-40 Years	Matriculation With certificate course in Vocational Trade (Tailoring, Handicraft, Mobile repairing, basic computer skill like Data Entry etc.)	A minimum of 1 year experience working as a vocational trainer/instructor in a school or Institution.	9930/-

1. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विहित प्रपत्र में संपूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र (मूल उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं संबंधित अंक पत्र सहित), फोटोग्राफ, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षण हेतु केवल बिहार के मूल निवासी के लिए), आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति के साथ दिनांक- 05.05.2026 के शाम 05:00 बजे तक ईमेल- adcpsiwana@gmail.com पर या सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मालवीय नगर, नई बस्ती, प्रभावती देवी कॉलेज के सामने उत्तर की ओर जाने वाली गली, सिवान (बिहार), पिन-841226 के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। उपरोक्त समय-सीमा के पश्चात् तथा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग-अलग आवेदन ही मान्य होंगे। आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासी को देय है। अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन करेंगे तथा विज्ञापन संख्या एवं पद का उल्लेख करेंगे। विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं करने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

[Handwritten Signature]

2. अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना 01.04.2026 के आधार पर किया जाएगा।
3. आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में "बालगृह (बालक) यूनिट- 01 एवं 02 में नियोजन हेतु आवेदन पत्र, विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम" उल्लेख अवश्य करेंगे।
4. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थाओं अथवा नीति आयोग पर पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सक्षम प्राधिकार के कार्यालय ज्ञापक एवं दिनांक के साथ निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अंतिम 06 माह का वेतन/परिश्रमिक/मानदेय भुगतान के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट/वेतन विवरणी प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र हेतु यह अनिवार्य है कि उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग/मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंध हो एवं प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापक, दिनांक के साथ निर्गत हो।
5. बाल देखरेख संस्थानों में वर्तमान में अभिरूचि के आधार पर कार्यरत NGO द्वारा नियोजित कर्मियों को नियोजन के उपरांत की गई सेवा अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। आयु सीमा में छूट केवल उसी पद के लिए अनुमान्य होगा जिस पद पर NGO द्वारा कर्मियों का नियोजन किया गया था। शेष शर्तें यथावत रहेगी।
6. साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा।
7. विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन फार्म जिला के आधिकारिक वेबसाइट <https://siwan.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है। साथ ही साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों की मेधा सूची आदि का प्रकाशन समय-समय पर उक्त वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
8. नियोजन के उपरांत सभी दस्तावेजों की जांच कराई जा सकती है। दस्तावेज एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियोजन समाप्त करते हुए विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
9. **परिवीक्षा अवधि:** मानदेय आधारित उपरोक्त सभी संविदा आधारित पदों पर प्रारंभ में 01 वर्ष प्रोबेशन अवधि के साथ नियोजन किया जायेगा। प्रोबेशन अवधि के संतोषजनक होने के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए सेवा विस्तार किया जा सकेगा।
10. **चयन प्रक्रिया:**
- I. क्रम संख्या 01 से 03 एवं 07 के पद पर निर्धारित योग्यता तथा न्यूनतम कार्य अनुभव की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित न्यूनतम तकनीकी योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत, उच्चतर डिग्री हेतु निर्धारित अंक तथा साक्षात्कार के लिये अंकों के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर किया जाएगा। न्यूनतम कार्य अनुभव रखना अनिवार्य होगा लेकिन इसे मेधा सूची हेतु अंक गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष हेतु निर्धारित विषय विशेष में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।
- II. क्रम संख्या 04 से 06 तक के पद पर नियोजन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। जिसके लिए अधिकतम 40 अंक निर्धारित हैं। क्रम संख्या 04 के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम कार्य अनुभव रखना अनिवार्य होगा लेकिन इसे मेधा सूची हेतु अंक गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। क्रम संख्या 05 एवं 06 के पदों के लिए कार्य अनुभव की शर्त अनिवार्य नहीं हैं।
- III. क्रम संख्या 01 से 03 एवं 07 के पदों के लिए प्रारंभिक मेधासूची 60 अंकों की बनायी जायेगी जिसमें न्यूनतम तकनीकी योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक का 50 प्रतिशत अंक तथा 10 (5+5) अंक न्यूनतम तकनीकी योग्यता से उच्चतर उसी विषय में अधिकतम 02 तकनीकी डिग्री हेतु दिए जायेंगे। क्रम संख्या 01 से 03 तक एवं 07 के पदों पर नियोजन के लिए अभ्यर्थियों के न्यूनतम शैक्षणिक अंकों की गणना अभ्यर्थी के न्यूनतम तकनीकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। उक्त प्रारंभिक मेधासूची से एक निश्चित संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु 40 अंक निर्धारित हैं। अंतिम मेधासूची शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर 100 अंकों के आधार पर बनायी जायेगी।
- IV. सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
- V. मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
- VI. इस विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. **नियोजन की शर्तें:**
- मानदेय के आधार पर चयनित कर्मियों न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सरकारी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
 - मान्य वैधानिक कारणों से चयनित कर्मियों का नियोजन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, सिवान के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
 - चयनित कर्मियों को संस्थान में नियमानुसार आवासन अनिवार्य होगा।
 - चयनित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति जिला में किसी भी बाल देखरेख संस्थान में किया जा सकता है।
12. **नियोजन की अवधि:** मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित होंगे, जो योजनावधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले लागू हो, तक के लिए है। अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण योजनावधि अथवा 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।
- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पद समाप्त किये जाने या योजना मद में आवंटन समाप्त किये जाने पर पद स्वतः समाप्त माना जायेगा।
 - जिला स्तर से नियोजन के संबंध में अपीलीय प्राधिकार जिला पदाधिकारी होंगे एवं उनका निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।


 सहायक निदेशक,
 जिला बाल संरक्षण इकाई,
 सिवान।